B.Ed 2nd year

1 May 2020
Monday

पर्यावरण शिक्षा

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
Environment Protection Act

सन् 1972 में स्टॉकहोम में सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र के मानव पर्यावरण पर हुए सम्मेलन की परिणति इस अधिनियम रूप में हुई।

इसके उद्देश्य एवं कारणों में पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गई, तथा भारत के मानव पर्यावरण सम्मेलन के समर्थन का यह व्यावहारिक प्रदर्शन है।

इस अधिनियम को प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने प्रस्तुत किया। '23 मई 1986' को इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। यह अधिनियम 'केन्द्रीय सरकार को विस्तृत' अधिकार प्रदान करता है जैसे —

⇒ पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक तय करने का अधिकार।
⇒ पर्यावरण प्रदूषकों के मानक निश्चित करने का अधिकार।
⇒ पर्यावरण प्रदूषण रोकने, नियन्त्रित करने व कम करने हेतु कार्यक्रम बनाना व लागू करना।

⇒ सरकार को अधिकार → "नियम का पालन न करने पर 5 वर्ष की कैद / एक लाख रु० तक जुर्माना।"
⇒ "लगातार नियमों को तोड़ने पर 5,000 रु० प्रतिदिन अर्थदण्ड।"

भारतीय संविधान तथा पर्यावरण संरक्षण

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्त के 42वें अनुच्छेद में संशोधन कर अनुच्छेद '48A' तथा '51A' को सम्मिलित किया गया है —

भारत का संविधान: अनुच्छेद 48 A

- पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार
- वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा
- पर्यावरण संरक्षण और सुधार
- वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण
- पर्यावरण की सुरक्षा

भारत का संविधान : अनुच्छेद 51 A (g) ⇒ प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है
⇒ प्राकृतिक पर्यावरण का सुधार करे।
⇒ प्रत्येक जीवधारी के प्रति सहानुभूति रखे।

"भारतीय संविधान यह आश्वस्त करता है कि पुलिस, आदि को हर गतिविधि से बचाया जाना चाहिए जिससे इसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुँचती हो।" भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार

वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम (1981)

⇒ वायु मण्डल में उपस्थित किसी ठोस, द्रव या गैस की इतनी सान्द्रता से उपस्थित होना है कि वह मानव व अन्य जीवों, वनस्पतियों तथा सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो।"

⇒ इस अधिनियम का पालन न करने पर 'तीन माह की कैद' / 'दस हजार रुपयों जुर्माना।

⇒ वर्ष 1987 में संशोधन 'शोर' को भी इसमें शामिल किया गया।

जल प्रदूषण (नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974

Water Pollution Prevention and control Act

" जल प्रदूषण का अर्थ जल में किसी भी ऐसे पदार्थ का मिलना है, जिससे जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुण इस प्रकार बदल जाएँ कि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनसाधारण के स्वास्थ्य, सुरक्षा या अन्य प्रकार के उपयोग जैसे – घरेलू, व्यावसायिक, कृषि, औद्योगिक उपयोग या जीवों के लिए नुकसान दायक हो।

⇒ जल प्रदूषण पर नियन्त्रण रखना।

⇒ जल प्रदूषण को कम करना।

⇒ अधिनियम के विरुद्ध कार्य करने पर 5 हजार रु० जुर्माना। तीन साल की सजा।

⇒ केन्द्रीय या राज्य स्तर पर 'जल प्रदूषण नियन्त्रण' बोर्ड के गठन का प्रावधान

⇒ बोर्ड जल स्रोतों में प्रदूषकों को डालने, मलबे को डालने इत्यादि के सम्बन्ध में अधिनियम बना सकता है।

B.R.C. Deoband

ARP Bio – Sapna Tyagi

4 May 2020